राजस्थान–सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर

कमांक:प्रशिक्षण/जीएनएम/इन्टर्नशिप/09/293 दिनांक: 15-7-09

:: परिपत्र ::

निजी नर्सिंग स्कूल्स के तृतीय वर्ष जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप बाबत् राज्य सरकार चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के कार्यवाही विवरण कमांक: एफ–16(69) चिकि. स्वा./ग्रुप–3/08 दिनांक: 02.01.09 की बिन्दु संख्या 4 पर यह प्रावधान किया गया था कि निजी नर्सिंग स्कूल्स उनके संस्था के जी.एन.एम. तृतीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची, निकटतम सरकारी अस्पताल आदि का उल्लेख करते हुये राज्य सरकार को प्रेषित करेगी, तथा राज्य सरकार स्तर से ऐसे विधार्थियों के इन्टर्नशिप हेतु सम्बन्धित अस्पताल के लिये आदेश जारी किये जायेंगे। इसके अनुसरण में इस निदेशालय के परिपत्र कमांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/08/22 दिनांक: 16.1.09 के पैरा 5 पर निर्देश जारी किये गये थे कि निजी नर्सिंग स्कूल्स ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की सूची इस निदेशालय को भिजवायेंगे, ताकि राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई जा सके।

विभिन्न निजी नर्सिंग स्कूल्स या उनके तृतीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उनके राजकीय चिकित्सालयों में इन्टर्नशिप बाबत् समस्यायें/प्रतिवेदनों पर विचार कर राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग के आई.डी. नं. 362 दिनांक: 1.7.09 के द्वारा तृतीय वर्ष जी.एन.एम. परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की राजकीय चिकित्सालयों में इन्टर्नशिप कराई जाने की कार्यवाही संपादित करने हेतु इस निदेशालय को अधिकृत किया है।

इसी कम में जिला जयपुर जहां दो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यरत है तथा जिनके अधिकार क्षेत्र में निजी नर्सिंग स्कूल्स व राजकीय चिकित्सालयों का अनुपात असन्तुलित है के निजी नर्सिंग स्कूल्स के तृतीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की राजकीय चिकित्सालयों में इन्टर्नशिप की कार्यवाही निदेशालय स्तर से पृथक से की जायेगी। शेष सभी जिलों में कार्यवाही सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्तर से की जानी है जिसके लिये निम्न शर्तें/मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:–

1. समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स के जी.एन.एम. तृतीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों की इन्टर्नशिप की सैद्वांतिक (थ्यौरी) कक्षाऐं सम्बन्धित निजी नर्सिंग स्कूल्स द्वारा निःशुल्क कराई जायेगी।
2. सम्बन्धित निजी नर्सिंग स्कूल्स अपनी संस्था के जी.एन.एम. तृतीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित सी.एम.एच.ओ. को मय राजकीय चिकित्सालय के प्रस्ताव के तुरन्त प्रेषित करेंगे। जयपुर जिले की संस्थाऐं इस निदेशालय को सूचित करेंगी।
3. सम्बन्धित सी.एम.एच.ओ. निजी नर्सिंग स्कूल से प्राप्त ऐसी सूची के प्रशिक्षणार्थियों को उनके जिले के राजकीय चिकित्सालयों में इन्टर्नशिप की निःशुल्क अनुमति देंगे, तथा यह ध्यान रखेंगें कि राजकीय चिकित्सालयों के सामान्य कार्य में कोई व्यवधान नहीं हो तथा ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की किसी एक ही चिकित्सालय में बहुत अधिक संख्या नहीं हो जाये, ताकि प्रशिक्षण भी विधिवत हो सके तथा चिकित्सालय में अनावश्यक भीड भी ना हो। राजकीय चिकित्सालयों के साथ–साथ जिले की सी.एच.सी./पी.एच.सी. भी उक्त प्रशिक्षण हेतु आवंटित की जाये।

4. इन्टर्नशिप अवधि में निजी नर्सिंग स्कूल्स के ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के साथ सम्बन्धित नर्सिंग स्कूल्स का ट्यूटर भी उपलब्ध रहेगा, जो ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के अनुशासन एवं अस्पताल की व्यवस्था बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

5. राजकीय चिकित्सालयों में यह इन्टर्नशिप निःशुल्क होगी अतः इन्टर्नशिप के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स द्वारा भी कोई शुल्क/राशि नहीं ली जायेगी तथा अभ्यर्थियों को इन्टर्नशिप के लिये कोई परिलाभ देय नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशों/मानदण्डों के अन्तर्गत सम्बन्धित सी.एम.एच.ओ. द्वारा समय-समय पर की जाने वाली कार्यवाही से निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जावें।

(ओ.पी. गुप्ता),
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर।

क्रमांकःप्रशिक्षण/जीएनएम/इन्टर्नशिप/09/293 दिनांकः 15-7-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान-जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
7. अध्यक्ष, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैडरेशन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप भी अपने स्तर से निजी नर्सिंग स्कूल्स को सूचित करें।
8. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान-जयपुर।